

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

**पत्रांक:- ..... दिनांक:- .....**

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :- Diversion of 26.814 ha. Forest Land for construction of 132 KV D/C Transmission Line from Simdega Sub-station to Manoharpur Sub-station in favour of JUSNL.**

**प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 5288 दिनांक 22.11.2016**  
महाशय,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, R.O.R के पत्रांक FP/JH/TRANS/18253/2016/843 दिनांक 27.10.2016 द्वारा पृच्छित पाँच बिन्दुओं का निराकरण वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 2340 दिनांक 30.11.2016 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 2009 दिनांक 27.12.2016 (दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न) द्वारा Hard Copy तथा Online प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा एवं गुमला के प्रतिवेदनानुसार R.O.R द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का समेकित बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

क्र०सं०	पृच्छाएँ	निराकरण
1	Details of the area calculation of proposed forest land for diversion under both forest divisions.	The total proposed area for diversion is 26.814 ha of both Division. The details of area calculation is being enclosed as Annexure -I.
2	Details of Girth wise and species wise trees enumeration in both forest division.	Details of trees enumeration under both Forest Division is enclosed as Annexure-II.
3	Actual number of trees required to be felled as well as the number of trees enumerated in the total forest land proposed for diversion. (As per Ministry's Guidelines No. 11-91/2012-FC(Pt)(I) dated 8.4.2013).	Total number of trees required to be felled in Porahat Forest Division is 225 out of 322 trees enumerated and total no. of trees required to be felled in Simdega Forest Division is 10621 out of which 6467 trees are required to be felled from PF and 4154 trees are to be felled from 'Jangal-Jhari' Land.
4	A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (S), Gram Sabha(s) Level Committee as mentioned in para(a) of the submitted FRA certificate in Simdega district.	Compliance has been submitted by Simdega Forest Division. Annexure-IV
5	Part-II duly signed by the DFO of the Porahat Forest Division in the Ministry's prescribed format.	Part-II has already been duly signed by DFO Porahat Forest Division. Copy of the same is being enclosed as Annexure-III.



वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 26.814 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (के०) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामली कॉलोनी, राँची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक ०१

दिनांक ०२/११/१७

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर एवं राँची रीजन/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/गुमला/महाप्रबंधक, मेसर्स पावरग्रिड, अशोक अगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

१२/११/१७